न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
63/2022 प्रा.पत्र/2022	20.07.2022	27.03.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल विक्रेता मैसर्स अग्रवाल एजेन्सीज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने झिलाई तह. निवाई जिला टोंक (राज0)। निवासी वार्ड नं0 14 बोहरो का मोहल्ला झिलाई तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304025 मोबाईल नं0 7568631185।

2–श्री ओमप्रकाश मित्तल पुत्र श्री भैरू लाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स अग्रवाल एजेन्सीज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने झिलाई तह. निवाई जिला टोंक (राज0)। निवासी वार्ड नं0 14 बोहरो का मोहल्ला झिलाई तह. निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304025 मोबाईल नं0 7568631185।

3–श्री लालाराम चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी डायरेक्टर मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्रा0 लि0 21 कृष्णा विहार बी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर राज0। पिनकोड–302020 निवासी 5 रामसिंहपुरा, रामसिंहपुरा स्कूल के पास सांगानेर जयपुर राज0। पिनकोड–302020 मोबाईल नं0 9549652235

4–श्री शंकर लाल चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी डायरेक्टर मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्रा0 लि0 21 कृष्णा विहार बी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर राज0। पिनकोड–302020 निवासी 5 रामसिंहपुरा, रामसिंहपुरा स्कूल के पास सांगानेर जयपुर राज0। पिनकोड–302020 मोबाईल नं0 9549652231

5–श्री विनोद चौधरी पुत्र श्री श्रीराम चौधरी डायरेक्टर मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्रा0 लि0 21 कृष्णा विहार बी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर राज0। पिनकोड–302020 निवासी 431 ब्लॉक–ओ, फेस–5, सांगानेर जयपुर राज0 नारायण विहार जयपुर राज0। पिनकोड–302020 मोबाईल नं0 9549652233

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री आशीष मित्तल स्वयं उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 27/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.01.2022 को समय सायं 03:19 पी.एम. पर मैसर्स अग्रवाल एजेन्सीज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता श्री

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आशीष मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अग्रवाल एजेन्सीज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, नमकीन, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए उपस्थित मिला, श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर श्री ओप्रकाश मित्तल पुत्र श्री भैरू लाल को उक्त फर्म का प्रोपरायटर/मालिक होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री आशीष मित्तल की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, शक्कर, कन्फैक्शनरी मसाले खाद्य पदार्थ अलग-अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ प्लास्टिक के एक बैग मे 400-400 ग्राम के 55 नग आम जनता को विक्रय करने हेतु **नमकीन मिक्स-मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड (Namkeen Mix-Mixture Choudhary Saheli Brand)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान मे प्लास्टिक के बैग में रखे 400-400 ग्राम के 55 नग में से **नमकीन मिक्स-मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड (Namkeen Mix-Mixture Choudhary Saheli Brand)** के ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 400-400 ग्राम के **नमकीन मिक्स-मिक्सर चौधरी सहेली ब्राण्ड (Namkeen Mix-Mixture Choudhary Saheli Brand)** 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों बराबर-बराबर कागज के 4 डिब्बों में बराबर-बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3030 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्लिप नं. आई–3030 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री आशीष मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्रा0 लि0 21 कृष्णा विहार बी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर राज0 का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/479 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल0 एस0/387/एक्ट/2022/401 दिनांक 11.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **नमकीन मिक्स–मिक्सर चौधरी सहेली ब्रण्ड (Namkeen Mix-Mixture Choudhary Saheli Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री आशीष मित्तल स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * टोंक *

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन मिक्स–मिक्सर चौधरी सहेली ब्रण्ड (Namkeen Mix-Mixture Choudhary Saheli Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन मिक्स–मिक्सर चौधरी सहेली ब्रण्ड (Namkeen Mix-Mixture Choudhary Saheli Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक